न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– हरि मोहन मीना, I.A.S.

अपील संख्या–01/2022 (सू0 का अधि0)
जीसीएमएस–2022/1

सोभागमल आत्मज श्री भोलू निवासी 65/349, आईसीआईसीआई बैंक के पास, हीरापथ जयपुर

–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा

–प्रत्यर्थी

न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 28/02/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सोभागमल आत्मज श्री भोलू निवासी 65/349, आईसीआईसीआई बैंक के पास, हीरापथ जयपुर ने दिनांक 28.10.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहॉ एक प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न सूचना चाही गयी है –

1. दिनांक 17 मार्च 2004 को 100/– मूल्य वाले प्रिंटेड स्टाम्प जिन–जिन स्टाम्प वेण्डर को जारी किये गये उसकी सूची ।
2. 25 मार्च 2004 को 500/– वाले प्रिंटेड स्टाम्प जिन स्टाम्प वेण्डर्स को जारी किये गये उनकी सूची
3. 26 मार्च 2004 को 10/– मूल्य वाले प्रिंटेड स्टाम्प जिन स्टाम्प वेण्डर्स को जारी किये गये सूची ।
4. उक्त कम 1,2,3 के स्टाम्प वेण्डर के नाम लाईसेंस नम्बर सूची ।

उपरोक्त सूचना समय पर नहीं मिलने के कारण प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील दिनांक 23.12.2021 को पेश की गई, जो दिनांक 05.01.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा से प्रकरण के सम्बन्ध में वांछित टिप्पणी एवं रेकार्ड तलबी हेतु पत्र कमांक/रीडर/डीएम/2021/708 दिनांक 17.01.2022 एवं स्मरण पत्रांक/50 दिनांक 14.02.2022 लिखा जाने उपरान्त भी वांछित टिप्पणी एवं रेकार्ड अप्राप्त है । अपीलांट को भी सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलान्ट के प्रतिनिधि प्रेम प्रकाश गुप्ता अभिभाषक उपस्थित है।

हमने प्रस्तुत अपील मेमों एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2021 का अवलोकन किया जिस अनुसार अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17 मार्च 2004 को एवं 25 मार्च 2004 को एवं 26 मार्च 2004 को जारी स्टाम्प एवं स्टाम्प वेण्डरों के सम्बनध में सूचना चाही गई थी जिस पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोषाधिकारी कोटा से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित सूचना वर्ष 2004 की होने व 2004 का रिकार्ड काफी पुराना होने तथा काफी तलाशने के बाद भी नहीं मिलना बताते हुए अपने पत्रांक/ सूचना/ प–200/2021/541 दिनांक 3.12.2021 से प्रार्थी अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है । उक्त पत्र अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ पेश किया है । लोक सूचना अधिकारी का पत्र दिनांक 3.12.2021 से सूचना 2004 की होकर काफी तलाश करने पर भी नहीं

जिला कलक्टर
कोटा

मिलने बाबत टिप्पणी उचित नहीं है । क्योंकि स्टाम्प जारी करने का रजिस्टर स्थायी रेकार्ड होकर महत्वपूर्ण दस्तावेज है । रजिस्टर नहीं मिलने का कथन उचित नहीं है ।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा एवं कोषाधिकारी कोटा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई स्टाम्प जारी होने की सूचना में उस अवधि का रजिस्टर तलाश किया जाकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देय हो तो 15 दिवस में आवश्यकरूप से प्रार्थी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावें ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को लिखाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा